न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

182

वाद सं०– 125 /20 18

धारा–107 द०प्र०सं०

गोपाल गोराई बनाम संतोष गोराई वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख सं०–एम 125 /20 18 , में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी , बुण्डू के अप्राथमिकी सं०– 31/18 दिनांक– 26-10-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिला है कि पुराना घर के पीछे पुराना रास्ता को लेकर उभय पक्ष मे विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मै बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हे एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उनसे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 07/12/18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। 19/11/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)। 19/11/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
29-07-19	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अपीलित वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।	

29/07/19
कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुण्डू (राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.26 15:12:01 +05:30
Location: 10.93.79.5